

## कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- ११९४ / XLIV / क्र०ग० / २०१०-११

दिनांक: २६ मार्च, २०११

### आदेश

उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-१ के आदेश सं०-८४९ / XIII-१ / २०१०-५ (१३) २०१० दिनांक: २७ अगस्त, २०१० के द्वारा कृषि गणना के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराने एवं उन पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून को राज्य कृषि संगणना आयुक्त नामित किया गया है। कृषि गणना के कार्यों के प्रबन्ध हेतु प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य राजस्व आयुक्त को अपर कृषि संगणना आयुक्त नामित किया जाता है। जनपद स्तर पर कृषि गणना कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी को जिला कृषि गणना अधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी को उप जिला कृषि गणना अधिकारी नामित किया जाता है। इस कार्य के लिये कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

२१३

(पी०सी० शर्मा)

मुख्य राजस्व आयुक्त /  
राज्य कृषि संगणना आयुक्त  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

### संख्या एवं दिनांक उक्त।

### प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— कृषि सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २— अपर सचिव राजस्व उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- ३— अपर मुख्य राजस्व आयुक्त / अपर कृषि संगणना आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ४— कृषि निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ५— समस्त जिलाधिकारी / जिला कृषि गणना अधिकारी उत्तराखण्ड।
- ६— समस्त उपजिलाधिकारी / उप जिला कृषि गणना अधिकारी उत्तराखण्ड।

(पी०सी० शर्मा)

मुख्य राजस्व आयुक्त /  
राज्य कृषि संगणना आयुक्त  
उत्तराखण्ड, देहरादून।